रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 386] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1979/आश्विन 2, 1901

No. 386] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1979/ASHVINA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1979

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1979

का.आ. 542(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ सैंतीसवां संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 101 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"101-क विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979";

(ख) "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 20 (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"20(च) विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, अपराधों के संबंध में, घोषणाएं करना, और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों की नियुक्ति तथा अन्य सम्बद्ध मामले ।

नोट—विशेष न्यायालयों में मामलों के अभियोजन की जिम्मेदारी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की जैसी भी स्थिति हो, चलती रहेगी ।" ;

(ग) "श्रम मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, उपशीर्षक "भाग 2-समवर्ती विषय" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"8 ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के सिवाय रोजगार और बेरोजगारी ।" ;

(घ) "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "ग. न्याय विभाग" उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"4क. विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का संस्थापन और संगठन, तथा अन्य सम्बद्ध मामले ।" ।

(नीलम संजीव रेड्डी)

राष्ट्रपति.

[सं. 74/2/79-मंत्रि.]

के. सहगल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 1979

S.O. 542(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) One hundred and thirty-seventh Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)", after entry 101, the following entry shall be inserted, namely :—

"101A. The Special Courts Act, 1979.";

(b) under the heading "Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasnik Sudhar Vibhag)", after entry 20(e), the following entry shall be inserted, namely :—

'(20f)Making of declarations, in relation to offences, under sub-section (1) of section 5 of the Special Courts Acts, 1979, and designation of Special Courts under section 6 of that Act and other related matters'.

Note—The prosecution of cases in the Special Courts will continue to remain the responsibility of the respective Ministries or Departments of the Government of India or the State Governments or Union Territories Administrations, as the case may be.";

(c) under the heading "(Ministry of Labour (Shram Mantralaya)", under the sub-heading "Part II—Concurrent subjects" for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"8. Employment and unemployment except rural employment and unemployment.";

(d) under the heading "Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya Aur Kampani Karya Mantralaya)", under the sub-heading "C. Department of Justice (Nyaya Vibhag)", after entry 4, the following entry shall be inserted, namely :—

"4A. Constitution and organisation of Special Courts under the Special Courts Act, 1979, and other related matters.".

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/2/1/79-Cab.]

K. SAIGAL, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979